श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

क्रमांक: एफ:-03(27)/एल.वी.एस/शै./2020-21/ 1477 दिनांक 17.11.2026
19

कार्यालय सूचना

विश्वविद्यालय के विद्यावारिधि अध्यादेश संख्या-40 एवं शैक्षणिक नियम परिचायिका में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम हेतु प्रदत प्रावधानों के अनुपालन में सभी विभागों में पंजीकृत शोध छात्रों को सूचित किया गया था कि उनके द्वारा सभी नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

प्राय: यह पाया गया है कि अधिकतर शोध छात्रों द्वारा सम्बन्धित नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण **सम्बन्धित छात्रों को निजी पंजिकाओं को तैयार करने** तथा उनका विवरण तैयार करने में शोध एवं विकास प्रकोष्ठ को असुविधा होती है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में सभी विभागों में पंजीकृत शोध छात्रों को पुन: सूचित किया जाता है कि वे **विश्वविद्यालय के विद्यावारिधि अध्यादेश संख्या-40 एवं शैक्षणिक नियम परिचायिका** में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु **निर्धारित सभी नियमों** को अनिवार्य रूप से पालन करने का कष्ट करें। **नियमों का अनुपालन न करने** की स्थिति से सम्बन्धित विभाग की अनुशंसा के आधार पर शोध छात्र का **पंजीकरण निरस्त** भी किया जा सकता है, जिसके लिये सम्बन्धित शोध छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

शोध छात्रों को सत्रीय पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन के साथ 75 **प्रतिशत उपस्थिति प्रतिमाह** अनिवार्य है। निर्धारित प्रोफार्मा में त्रैमासिक प्रगति विवरण **शोध निर्देशक विभागाध्यक्ष एवं पीठ प्रमुख** के हस्ताक्षर सहित निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करना होगा। **प्रगति विवरण** प्राप्त न होने की स्थिति में फैलोशिप भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा। **JRF/SRF** छात्रों को **विश्विद्यालय एवं UGC** द्वारा निर्धारित प्रगति विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सेवारत शोध छात्र (अंशकालिक) रूप से शोध कार्य करने वाले शोध छात्रों को भी निर्धारित समयावधि में त्रैमासिक प्रगति विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विद्यावारिधि अध्यादेश संख्या-40 एवं शैक्षणिक नियम परिचायिका से प्राप्त की जा सकती है।

नोट: शैक्षणिक सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में पंजीकृत जिन शोध छात्रों के शोध कार्य की अवधि तीन वर्ष अथवा उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, वे अपने शोध कार्य की प्रगति के अनुसार पूर्व-प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अपने संबंधित शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष से संपर्क करें तथा विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार शोध-प्रबन्ध जमा करने की कार्यवाही समय से सुनिश्चित करें।

सहायक कुलसचिव

शोध एवं विकास प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त पीठ प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे विभाग में पंजीकृत शोध छात्रों को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आई.क्यू.ए.सी)
3. पीठ प्रमुख शैक्षणिक
4. निदेशक, शोध एवं विकास प्रकोष्ठ
5. विभागाध्यक्ष, शोध विभाग
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव
7. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे सूचना को वेबसाईट पर अंकित करने का कष्ट करें।
8. कार्यालय आदेश पंजिका
9. समस्त सूचना पट्ट
10. सम्बन्धित पंजिका

सहायक कुलसचिव
शोध एवं विकास (प्रकोष्ठ)

20/11/26